रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032024-253208
CG-DL-E-18032024-253208

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1403] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 2024/फाल्गुन 28, 1945
No. 1403] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 2024/PHALGUNA 28, 1945

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2024

का.आ. 1472(अ).—जबकि मेसर्स खिदरत रिन्युऐबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 401, लेवल 4, सैल्कॉन रासविलास बिल्डिंग, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110017, भारत में स्थित है, ने "राजस्थान के बीकानेर जिले में अपनी 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए खिदरत रिन्युऐबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल डेडिकेटेड ओवरहेड ट्रांसिमशन लाइन की स्थापना" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/7/2023-PG दिनांकित 10.07.2023 के द्वारा "राजस्थान के बीकानेर जिले में अपनी 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए खिदरत रिन्युऐबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल समर्पित ओवरहेड ट्रांसिमशन लाइन की स्थापना" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स खिदरत रिन्युऐबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 07.08.2023, दैनिक नवज्योति (हिंदी में) दिनांक 07.08.2023 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक

02.09.2023 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स खिदरत रिन्युऐबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 27.12.2023 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी/ अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "राजस्थान के बीकानेर जिले में अपनी 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए खिदरत रिन्युऐबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल डेडिकेटेड ओवरहेड ट्रांसिमशन लाइन की स्थापना" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- खिदरत रिन्युऐबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सौर ऊर्जा परियोजना (राजस्थान के बीकानेर जिले के रणधीसर गाँव में जरनेशन स्विचयार्ड) – बीकानेर II पीएस (आईएसटीएस सबस्टेशन) डी/सी टॉवर पर 220 केवी एस/सी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान प्रदेश के निम्नांकित गाँवों,कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र.सं.	गाँवों का नाम	तहसील	जिला
1.	रणधीसर	कोलायत	बीकानेर
2.	नोखा दईया	कोलायत	बीकानेर
3.	जयमलसर	बीकानेर	बीकानेर
4.	शरह बोर्ला	बीकानेर	बीकानेर
5.	भानीपुरा	पूगल	बीकानेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स खिदरत रिन्युऐबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स खिदरत रिन्युऐबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिन्हित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांकित 19.04.2021 का हिस्सा है तो आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के भूमिगत होने के संबंध एवं / या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये, जैसा भी मामला हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना होगा एवं तद्नुसार विद्युत मंत्रालय को सूचित करना होगा।

[फा. सं. 25-16/12/2024-पीजी]
एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 18th March, 2024

S.O. 1472(E).— Whereas M/s Khidrat Renewable Energy Private Limited has its registered address at 401, level 4, Salcon Rasvilas Building Saket District Centre, New Delhi–110017, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under "Installation of the dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s Khidrat Renewable Energy Private Limited for its 300 MW Solar Power Plant in Bikaner, Rajasthan".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/7/2023-PG dated 10.07.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under "Installation of the dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s Khidrat Renewable Energy Private Limited for its 300 MW Solar Power Plant in Bikaner, Rajasthan".

M/s Khidrat Renewable Energy Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Indian Express (in English) dated 07.08.2023, Dainik Navjyoti (in Hindi) dated 07.08.2023 and in Weekly Gazette of India dated 02.09.2023 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Khidrat Renewable Energy Private Limited has submitted an affidavit dated 27.12.2023 declaring that no observation/representation was received within 2 months from the date of Publication in the official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under "Installation of the dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s Khidrat Renewable Energy Private Limited for its 300 MW Solar Power Plant in Bikaner, Rajasthan". The following overhead line is covered under this scheme:

- Khidrat Renewable Energy Private Limited Solar Power Project (Generation Switchyard in Randheesar village, Bikaner District, Rajasthan) – Bikaner II PS (ISTS Substation) 220 kv S/c Line on D/c Tower

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

Sl. No.	Name of Villages	Tehsil	District
1.	Randheesar	Kolayat	Bikaner
2.	Nokha daiya	Kolayat	Bikaner

3.	Jaimalsar	Bikaner	Bikaner
4.	Sharah Borla	Bikaner	Bikaner
5.	Bhanipura	Poogal	Bikaner

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Khidrat Renewable Energy Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Khidrat Renewable Energy Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/12/2024-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.18 22:25:34 +05'30'